

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
सं०सं०-०५/स्था०(आरोप)-११/२०१६

पटना, दिनांक.....

आदेश

श्री विनोद कुमार सिंह, मोटर बान निरीक्षक, नालंदा को निगरानी टीम द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने, उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-158/2016 दिनांक-30.12.2016 दर्ज किये जाने के उपरांत उक्त तिथि से न्यायिक हिरासत में लिये जाने के फलस्वरूप उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(2) के तहत जेल जाने की तिथि दिनांक-30.12.2016 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

2. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. उनके विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप-पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही का संचालन अलग से किया जाएगा।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना

ई-मेल/निबंधित ज्ञाप सं०-०५/स्था०(आरोप)-११/२०१६

पटना, दिनांक..... 16/1/17

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, नालंदा/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,

पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा/श्री विनोद कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना